जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 15 / डी– 740 दिनांकः– 16-9-15

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **119वीं बैठक दिनांकः 11.09.15 को मध्याह्न 12.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		119:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 118वीं बैठक दिनांक 30.07.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 109वीं से 118वी की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 118वीं बैठक दिनांक 30.07.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 109 से 118 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। सरकार के पास स्वीकृति / मार्गदर्शन हेतु लम्बित प्रकरणों में स्मरण पत्र उपायुक्त द्वारा जारी किए जावे एवं सूची मय भेजे गए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
2.	7	119:2	श्री बजरंग लाल ताखर पुत्र श्री दुल्लाराम ताखर अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या बी–2 / 418 आवंटन करने बाबत।	श्री बजरंग लाल ताखर पुत्र श्री दुल्लाराम ताखर को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री बजरंग लाल ताखर को एलपीसी की 105वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राजभवन योजना में भूखण्ड संख्या बी–198 का आवंटन कर दिया गया था। किन्तु श्री ताखर द्वारा चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन का निवेदन किया गया है। उपायुक्त जोन–7 द्वारा चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या बी–2 / 418 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजभवन योजना के भूखण्ड आवंटन को निरस्त किया जाकर चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या बी–2 / 418 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के आवंटन व दर निर्धारण हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
3.	10	119:3	निजी खातेदार श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत को निजी खातेदारी ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील जयपुर के खसरा नं. 62 / 4, 62 / 5 व 62 / 6 / 1 में रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से क्षेत्रफल 14415.09 व.मी. में स्थित सुविधा क्षेत्र का आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदार श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा निजी खातेदारी योजना ग्राम मालपुरा डूंगर तहसील जयपुर के खसरा नं. 62 / 4, 62 / 5 व 62 / 6 / 1 में रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से क्षेत्रफल 14415.09 व.मी. में स्थित सुविधा क्षेत्र 758.91 व.मी. का योगा मेडीटेशन सेन्टर हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 09.06.15 के बिन्दु संख्या 1 में 2 हैक्टेयर से कम की योजना जो नई टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में 5 प्रतिशत के बराबर क्षेत्रफल स्वीकृत है, संबंधित विकासकर्ता को आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है। बिन्दु संख्या 3 में सिटी लेवल योजना क्षेत्र की 5 प्रतिशत भूमि न्यास के पक्ष में समर्पित कराई गई है का निष्पादन राजस्थान ईम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अनुसार सिटी लेवल सुविधा के विकास के लिए किया जा सकता है। सिटी लेवल सुविधा में

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किस–किस प्रकार के प्रकरण आते है व 2 हैक्टेयर से कम की निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना के सुविधा क्षेत्र को विकासकर्ता को आवंटन का प्रावधान के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	10	119:4	श्री सन्तोष कुमार तिवाडी पुत्र श्री शिवदेव तिवाडी को जविप्रा की योजना सुमेल में भूखण्ड संख्या ए–337 के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।	श्री सन्तोष कुमार तिवाडी पुत्र श्री शिवदेव तिवाडी को जविप्रा की योजना सुमेल में भूखण्ड संख्या ए–337 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। लेकिन उक्त भूखण्ड विवादग्रस्त होने के उन्हें कब्जा नहीं दिया जा सका। उक्त योजना में वर्तमान में 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर 92.16 वर्गमीटर के उपलब्ध भूखण्डों में से एक के विनिमय हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर 92.16 वर्गमीटर क्षेत्रफल के समस्त नॉन कॉर्नर व समान चौडाई की रोड पर स्थित भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। बढे हुये 2.16 वर्गमीटर क्षेत्रफल की राशि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर से गणना कर आवंटी से वसूल की जावे।
5.	11	119:5	श्रीमती किरण कुमार पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवेदक को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–351 के बढे हुये क्षेत्रफल को आवंटित किये जाने बाबत।	श्रीमती किरण कुमार पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–351 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड खसरा सीमा पर स्थित होने के कारण उक्त भूखण्ड का मौके पर 49.96 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ गया है। जिसके आवंटन हेतु उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का नवीन भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता उल्लेख किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–351 में बढा हुआ क्षेत्रफल 49.96 वर्गमीटर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	11	119:6	श्री रवि यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवेदक को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–154 के बढे हुये क्षेत्रफल को आवंटित किये जाने बाबत।	श्री रवि यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–154 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड खसरा सीमा पर स्थित होने के कारण उक्त भूखण्ड का मौके पर 24.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ गया है। जिसके आवंटन हेतु उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का नवीन भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता उल्लेख किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–154 में बढा हुआ क्षेत्रफल 24.75 वर्गमीटर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	13ए	119:7	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आरएएफ बटालियन को राजस्व ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी के खसरा नं. 13/1 में से 50 एकड अर्थात	विशिष्ट सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आर.ए.एफ. बटालियन स्थापित करने हेतु 50 एकड भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी के खसरा नं. 13/1 रकबा 360

प्रति० ... जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			80 बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।	बीघा में से 50 एकड (अर्थात 80 बीघा) भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आरएएफ बटालियन हेतु ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी के खसरा नं. 13/1 मे से 50 एकड भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प--3(268)नविवि/3/2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाया जावे।
8.	13	119:8	श्री रामफूल पुत्र छोटू को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–209 क्षेत्रफल 195 से बढकर 233.50 वर्गमीटर हो जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 38.50 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत।	श्री रामफूल पुत्र छोटू को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–209 क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। प्रार्थी को भूखण्ड का आवंटन मुआवजे के तौर पर निशुल्क आवंटन किया गया था। मौके की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 38.50 वर्गमीटर बढ गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल 38.50 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता; प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय है तथा योजना की आवासीय आरक्षित दर निर्धारित नहीं है। व्यावसायिक आवंटन दर 13500/– प्रति वर्गमीटर स्वीकृत है। आवासीय आरक्षित दर व्यावसायिक दर की आधी होती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना के भूखण्ड संख्या बी–209 में बढे हुए क्षेत्रफल 38.50 वर्गमीटर को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	13ए	119:9	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को दस्तकार नगर योजना में 15 हैक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटन करने बाबत।	ग्राम नायला के खसरा नं. 4 की 243 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नं. 6/1 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की प्लानिंग कराई जाकर 100 बीघा भूमि दस्तकार नगर योजना बसाये जाने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के पत्रांक प.8(2)नविवि/प्रथम/2007 पार्ट दिनांक 30.06.15 से योजना में 15 हैक्टेयर भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा उक्तानुसार राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को दस्तकार नगर योजना ग्राम नायला में 15 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार आवंटन की कार्यवाही उपायुक्त द्वारा की जावे।
10.	13ए	119:10	कल्पना नगर योजना में आवंटित कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटन से अत्यधिक होने के कारण योजना में अन्य लगभग समान क्षेत्रफल का कॉर्नर भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में।	श्री दिनेश कुमार गुप्ता व श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा को कल्पना नगर योजना में कॉर्नर भूखण्ड संख्या क्रमशः बी–140 व बी–141 प्रत्येक क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर आवंटित किया गया था। मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या बी–140 में 134.73 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या बी–141 में 97.98 वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिक है। अतः उपायुक्त ने उक्त भूखण्डों के स्थान पर योजना में रिक्त कॉर्नर भूखण्ड संख्या सी–473, सी–474 के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–140 व बी–141 सडक चौडाई 9 मीटर व 12 मीटर पर आवंटित है। अब उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड 18 मीटर व 18 मीटर

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				चौडी रोड पर स्थित है। जिन्हें आवेदकों को विनिमय किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–140 व बी–141 में बढा हुआ क्षेत्रफल क्रमशः 134.73 वर्गमीटर व 97.98 वर्गमीटर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। चूंकि बढा हुआ क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक है। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।
11.	14	119:11	राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम वाटिका की भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम वाटिका के खसरा नं. 801 रकबा 1.31 हैक्टेयर, ख. नं. 834 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 835 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 856 रकबा 0.04 है., ख. नं. 857 रकबा 0.12 है., ख. नं. 858 रकबा 0.06 है., ख. नं. 864 रकबा 0.04 है., ख.नं. 867 रकबा 0.15 है., ख.नं. 868 रकबा 0.12 है., ख.नं. 873 रकबा 0.05 है., ख.नं. 921 रकबा 5.20 है. कुल रकबा 7.29 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम वाटिका की 7.29 हैक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	14	119:12	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू के खसरा नं. 3635 रकबा 1. 05 हैक्टेयर में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू के खसरा नं. 3635 रकबा 1.05 हैक्टेयर में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम चंदलाई में उक्त 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
13.	14	119:13	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू मे स्थित जविप्रा की योजना सूर्य नगर ब्लॉक ए व बी में सृजित सुविधा क्षेत्र में 9852.42 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पम्प हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू में स्थित जविप्रा की योजना सूर्य नगर ब्लॉक ए व बी में सृजित सुविधा क्षेत्र में 9852.42 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पम्प हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को सूर्य नगर ब्लॉक ए व बी की 9852.42 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	14	119:14	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम जयचंदपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 53/2 रकबा 18.96 हैक्टेयर में से	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम जयचंदपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 53/2 रकबा 18. 96 हैक्टेयर में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा

			900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम जयचंदपुरा में उक्त 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
15.	14	119:15	ग्राम खेतापुरा एवं श्यामपुरा बुहारिया के श्मशान घाट की भूमि रिंग रोड परियोजना के निर्माण क्षेत्र में आने के कारण वार्ड पंच एवं ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर इसकी एवज में श्मशान घाट हेतु ग्राम खेतापुरा तह. सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में आरक्षित भूमि 2302.68 व.मी. का आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा ग्राम खेतापुरा एवं श्यामपुरा बुहारिया के श्मशान घाट की भूमि रिंग रोड परियोजना के निर्माण क्षेत्र में आने के कारण वार्ड पंच एवं ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर इसकी एवज में ग्राम खेतापुरा तह. सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में आरक्षित भूमि 2302.68 व.मी. श्मशान घाट हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत मोहनपुरा (सांगानेर) को ग्राम खेतापुरा तह. सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में आरक्षित 2302.68 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16.	14	119:16	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम नरहरपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 38 रकबा 6.17 हैक्टेयर में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम नरहरपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 38 रकबा 6.17 हैक्टेयर में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम नरहरपुरा में उक्त 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
17.	4	119:17	जवाहर सर्किल थाने हेतु ग्राम सवाई गैटोर के खसरा नं. 69 से 74 एवं 77 की 3804.24 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त–द्वितीय, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जवाहर सर्किल थाने हेतु भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा ग्राम सवाई गैटोर के खसरा नं. 69 से 74 एवं 77 की 3804.24 वर्गमीटर भूमि (जो कि पूर्व में मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (मुम्बई) लि0 को आवंटित थी, जिसका आवंटन निरस्त कर दिया गया है) के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस थाना, जवाहर सर्किल के प्रशासनिक भवन हेतु 2804.24 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	12	119:18	राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर को धानक्या रेलवे स्टेशन के 11 आवासीय क्वार्टर वाली 4500 वर्गमीटर भूमि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	धानक्या रेलवे स्टेशन के 11 आवासीय क्वार्टर वाली 4500 वर्गमीटर रेलवे भूमि पर जविप्रा द्वारा ली जाकर उसके बदले में इतनी ही कीमत की जविप्रा की 8765 वर्गमीटर भूमि आराजी नं. 31/2 ग्राम नंदगाँव में देने के प्रस्ताव बाबत उपायुक्त ने अवगत कराया है। रेलवे की 4500 वर्गमीटर भूमि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक निर्माण किया जाना है। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक हेतु धानक्या रेलवे स्टेशन की 4500 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि भूमि

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				हस्तांतरण के संबंध में जविप्रा व रेलवे के मध्य समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) प्रक्रियाधीन है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर को धानक्या रेलवे स्टेशन के 11 आवासीय क्वार्टर वाली 4500 वर्गमीटर भूमि प्राप्त होने की प्रत्याशा में आवंटन हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गई। राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु पत्र रेलवे व जविप्रा के मध्य समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने के पश्चात जारी किया जावे।
19.	14	119:19	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू में स्थित जविप्रा की योजना अभिनव विहार में सृजित सुविधा क्षेत्र में 789.96 व.मी. भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत पानी की टंकी के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड चाकसू को ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू में स्थित जविप्रा की योजना अभिनव विहार में सृजित सुविधा क्षेत्र में 789.96 व.मी. भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत पानी की टंकी के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को अभिनव विहार योजना में उक्त 789.96 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	14ए	119:20	अधिशाषी अभियंता दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम रामपुराबास गोनेर तह. चाकसू के खसरा नं. 96 रकबा 1.02 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए अधिशाषी अभियंता, दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम रामपुराबास गोनेर तह. चाकसू के खसरा नं. 96 रकबा 1.02 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम रामपुराबास गोनेर में उक्त 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
21.	14ए	119:21	अधिशाषी अभियंता दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम डाहर तह. चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए अधिशाषी अभियंता, दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम डाहर तह. चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम डाहर में उक्त 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
22.	15	119:22	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 658 के बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 658 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 125 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। अतः बढे हुये भूखण्ड के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। आवंटित भूखण्ड 1250 वर्गमीटर

प्रति० आयुक्त (ए.पी.सी.) जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				क्षेत्रफल का है। जिसमें 125 वर्गमीटर क्षेत्र बढना बताया गया है। समिति की राय है कि आवंटित भूखण्ड के समान माप का अन्य भूखण्ड तलाश किया जावे। यदि समान माप का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होता है, तो प्रकरण परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
23.	15	119:23	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस, प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में, आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 116 के बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 116 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। अतः बढे हुये भूखण्ड के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। आवंटित भूखण्ड 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है। जिसमें 150 वर्गमीटर क्षेत्र बढना बताया गया है। समिति की राय है कि आवंटित भूखण्ड के समान माप का अन्य भूखण्ड तलाश किया जावे। यदि समान माप का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होता है, तो प्रकरण परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
24.	2	119:24	श्री अग्रवाल समाज समिति, जयपुर को भूखण्ड संख्या पी–3, क्षेत्रफल 4830.95 व.मी. सैक्टर नम्बर–5, विद्याधर नगर योजना में सामाजिक कार्यो हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	अध्यक्ष, श्री अग्रवाल समाज समिति, जयपुर ने सामुदायिक केन्द्र हेतु 6400 वर्गमीटर भूमि विद्याधर नगर योजना में भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–2 द्वारा विद्याधर नगर योजना सैक्टर नम्बर–5 के भूखण्ड संख्या पी–3, क्षेत्रफल 4830.95 व.मी. को रिक्त बताकर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। श्री अग्रवाल समाज समिति का रजिस्ट्रेशन इण्डियन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत 14 अप्रेल, 1950 को किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में संस्था का केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार से सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अनुसार तो संस्था पात्र है, किन्तु राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन होना वांछित है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए व 19 में वर्णित एक्ट से भिन्न एक्ट में रजिस्टर्ड होने के कारण, प्रश्नगत भूमि नगर निगम सीमा में स्थित होने व संस्था को आवंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में वर्णित अधिकतम 2000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड के End Use का पुनर्निर्धारण भी कराया जाए।
25.	2	119:25	लेडी एम0बी0 मेमोरियल सोसायटी, जयपुर को भूखण्ड संख्या 6/पी/8, सैक्टर नम्बर–6, विद्याधर नगर योजना, जयपुर में स्कूल भवन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	सचिव, लेडी एम0बी0 मेमोरियल सोसायटी, जयपुर द्वारा विद्याधर नगर योजना में माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन का आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–2 द्वारा विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नम्बर–6 का भूखण्ड संख्या 6/पी/8 क्षेत्रफल 3586.28 व.मी. रिक्त बताकर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में संस्था का केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार से सोसायटी एक्ट में

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अनुसार तो संस्था पात्र है, किन्तु राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन होना वांछित है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में सहकारी अधिनियम, 1958 में लागू हुआ है। अतः राजस्थान सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए व 19 में वर्णित एक्ट से भिन्न एक्ट में रजिस्टर्ड होने के कारण व प्रश्नगत भूमि नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड के End Use का पुनर्निधारण भी कराया जाए।
26.	2	119:26	श्री खण्डेलवाल वैश्य सेवा समिति, विद्याधर नगर, जयपुर को भूखण्ड संख्या 2/पी/9, क्षेत्रफल 1629.08 व.मी. सैक्टर नम्बर–2, विद्याधर नगर योजना, जयपुर में सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	मंत्री, श्री खण्डेलवाल वैश्य सेवा समिति, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा विद्याधर नगर योजना में सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि आवंटन का आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–2 द्वारा विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नम्बर–2 का भूखण्ड संख्या 2/पी/9 क्षेत्रफल 1629.08 व.मी. रिक्त बताकर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में संस्था का केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार से सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अनुसार तो संस्था पात्र है, किन्तु राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियन 19 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन होना वांछित है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में सहकारी अधिनियम, 1958 में लागू हुआ है। अतः राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए व 19 में वर्णित एक्ट से भिन्न एक्ट में रजिस्टर्ड होने के कारण व प्रश्नगत भूमि नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड के End Use का पुनर्निधारण भी कराया जाए।
27.	1	119:27	डॉ. अमित शर्मा एवं डॉ. कोमल शर्मा को भूखण्ड संख्या डी–799, मालवीय नगर, जयपुर को मूलरूप से आवंटी क्षेत्रफल से 30.20 व.मी. बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटन करने के संबंध में।	डॉ. अमित शर्मा एवं डॉ. कोमल शर्मा को मालवीय नगर, जयपुर में भूखण्ड संख्या डी–799 क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज नीलामी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की मौके पर जांच करने पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 30.20 व.मी. बढ गया है। बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बैठक के दौरान बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। समिति की राय में मूल भूखण्ड का निस्तारण नीलामी द्वारा किया गया है। बढे हुये क्षेत्रफल का अन्य कोई उपयोग नहीं होने के कारण नीलामी दर पर आवेदक को दिये जाने का निर्णय लिया गया।
28.	13ए	119:28	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री भगवान सिंह राठौड को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13ए द्वारा शिक्षक श्री भगवान सिंह राठौड को वर्ष 2010 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी–77 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट

				प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री भगवान सिंह को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी–77 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
29.	10	119:29	श्री सरदार मनमोहन सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–2/265 पर काश्तकारों का कब्जा होने के कारण विनिमय में समान सडक पर समान क्षेत्रफल के 40.00 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री सरदार मनमोहन सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–2/265 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। लेकिन मौके पर उक्त भूमि काश्तकारों के कब्जे में होने के आवंटी को कब्जा नहीं दिया जा सका। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान सडक चौडाई पर स्थित भूखण्ड संख्या बी–2/170 से बी–2/176 का रिक्त बताकर विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवंटी द्वारा भूखण्ड के पेटे पूर्व में राशि जमा नहीं कराई गई हो, तो वर्तमान दर ली जाकर लॉटरी द्वारा भूखण्ड का विनिमय किया जावे। भूखण्ड संख्या बी–2/265 का कब्जा लेने की कार्यवाही उपायुक्त द्वारा की जावे।
30.	11	119:30	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार गुप्ता को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–166 के विनिमय में भूखण्ड संख्या सी–383 अथवा सी–167 में से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्रीतमी इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार गुप्ता को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–166 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर 9 मीटर चौडी रोड पर आवंटित किया गया था। योजना के रि–प्लान किये जाने पर उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से उपायुक्त द्वारा योजना के भूखण्ड संख्या सी–383 व सी–167 प्रत्येक क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर समान रोड चौडाई 9 मीटर पर स्थित भूखण्डों में से एक के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
31.	15	119:31	निजी खातेदारी योजना मोती सन्स टाउनशिप में एलपीसी की 116वीं बैठक में आवंटित सुविधा क्षेत्र को निरस्त करने बाबत।	एलपीसी की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.15 में श्री संदीप छाबडा, श्री संजय छाबडा व श्रीमती नमिता छाबडा की निजी खातेदारी योजना मोतीसंस टाउनशिप के सुविधा क्षेत्र 1377.35 वर्गमीटर में बैंक (वित्तीय संस्था) एवं क्षेत्रफल 1826.13 वर्गमीटर में क्लब हाउस एवं 4639.24 वर्गमीटर में सामुदायिक केन्द्र योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV दिनांक 10.07.15 द्वारा निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड का अंतिम उपयोग बैंक (वित्तीय संस्था), रेस्टोरेंट, मनोरंजन क्लब आदि किये जाने के निर्णय को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विकासकर्ता को सुविधा क्षेत्र की भूमि में 1377.35 वर्गमीटर में बैंक (वित्तीय संस्था) एवं 1826.13 वर्गमीटर में क्लब हाउस हेतु किये गये आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
32.	12	119:32	पुलिस चौकी व बस स्टैण्ड हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 417 में से भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 417 मिन क्षेत्रफल 10340 वर्गमीटर भूमि में से आवंटन हेतु निम्नांकित एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है:–

प्रति० आयुक्त (एल वी एस) विकास प्राधिकरण, जयपुर

				1. पुलिस थाना, बगरू के अन्तर्गत पुलिस चौकी के निर्माण हेतु उक्त भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि 2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को बस स्टैण्ड हेतु उक्त भूमि में से 1500 वर्गमीटर भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा आवंटन हेतु आवेदन किया गया है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने 150 व.मी. भूमि के आवंटन हेतु संशोधित एजेण्डा प्रस्तुत किया। अतः निगम को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 417 मिन क्षेत्रफल 10340 वर्गमीटर में से चर्चा उपरान्त 150 वर्गमीटर भूमि बस स्टैण्ड हेतु आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग/पुलिस विभाग से औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्राप्त होने व पुलिस चौकी स्वीकृति के आदेश की प्रति प्राप्त होने की शर्त पर पुलिस चौकी हेतु उक्त भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
33.	9	119:33	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी (सांगानेर) को ग्राम रामचन्द्रपुरा में विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी (सागानेर) को विद्यालय हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 267 रकबा 6.62 हैक्टेयर में से 1 हैक्टेयर (10000 वर्गमीटर) भूमि रिक्त बताकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में विद्यालय आबादी क्षेत्र में लगभग 300 वर्गगज भूमि पर संचालित है। जो प्रस्तावित भूमि से लगभग 1 किमी दूर स्थित है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु संस्थाओं को अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय भवन, खेल मैदान व भविष्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये विद्यालय को ग्राम रामचन्द्रपुरा के खसरा नं. 267 में से 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित क्षेत्रफल मापदण्ड से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।

बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

34.	12बी	119:33(1)	शान्ति शिक्षा निकेतन, जाहौता, जयपुर को ग्राम जाहौता में स्थित जविप्रा की स्वप्न लोक आवासीय योजना के बी ब्लॉक में 1700 वर्गमीटर भूमि विद्यालय भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 33वीं बैठक दिनांक 01.09.06 में शान्ति शिक्षा निकेतन, जाहौता, जयपुर को ग्राम जाहौता में स्थित जविप्रा की स्वप्न लोक आवासीय योजना के बी ब्लॉक में 1700 वर्गमीटर भूमि विद्यालय भवन हेतु आवासीय आरक्षित दर+ 25 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। तत्समय संस्था द्वारा राशि नहीं जमा कराई गई। संस्था द्वारा वर्तमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से आवंटन करने का अनुरोध किया है। संस्था

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में संस्था का केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार से सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके अनुसार तो संस्था पात्र है, किन्तु राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन होना वांछित है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में सहकारी अधिनियम, 1958 में लागू हुआ है। अतः राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए व 19 में वर्णित एक्ट से भिन्न एक्ट में रजिस्टर्ड होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
35.	14	119:33(2)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 696 रकबा 4.49 हैक्टेयर में से 2.50 हैक्टेयर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 696 रकबा 4.49 हैक्टेयर में से 2.50 हैक्टेयर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका हेतु ग्राम वाटिका के खसरा नं. 696 में से 6000 वर्गमीटर भूमि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
36.	11	119:33(3)	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को अम्बेडकर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 12 के स्थान पर आश्रय विहार योजना में कॉर्नर भूखण्ड संख्या 361, 370, 371 एवं 380 में से एक के आवंटन के संबंध में।	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को अम्बेडकर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। अम्बेडकर आवासीय योजना के आवंटियों को आश्रय विहार योजना में भूखण्ड आवंटन किये गये थे। आश्रय विहार योजना में 405 वमी. के कुल 16 नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध थे, किन्तु अम्बेडकर नगर के 17 आवंटियों को आश्रय विहार में भूखण्ड आवंटन किया जाना था। अतः श्री मनोज कुमार भूखण्ड आवंटन से वंचित रह गये। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कॉर्नर भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है। अतः उपायुक्त द्वारा श्री मनोज कुमार को आश्रय विहार योजना में उपलब्ध कॉर्नर भूखण्ड संख्या 361, 370 (12 मीटर रोड पर स्थित) तथा 371, 380 (18 मीटर रोड पर स्थित) प्रत्येक क्षेत्रफल 469 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर 12 मीटर रोड पर स्थित कॉर्नर भूखण्ड संख्या 361 व 370 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। पूर्व आवंटित भूखण्ड 405 वर्गमीटर का था। अतः बढे हुए 64 वर्गमीटर क्षेत्रफल की राशि आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर से वसूल की जावे। साथ ही कॉर्नर चार्जेज नियमानुसार वसूल किया जावे।

कुछ समय पहले यह प्रकाश में आया है कि अधिकांश संस्थाऐं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राज. अधि. संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। जबकि कुछ संस्थाऐं इण्डियन

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीबद्ध होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में संस्था का केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार से सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। पॉलिसी के अनुसार तो संस्थाऐं रजिस्ट्रेशन संबंधी पात्रता पूर्ण करती है। किन्तु राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 19 में चेरीटेबल व पब्लिक इन्स्टीट्यूट के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। केन्द्र अथवा राजस्थान सरकार में 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960' के नाम से कोई एक्ट उपलब्ध नहीं होना जानकारी में आया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए में पब्लिक, चेरीटेबल व अन्य संस्थाओं को अविकसित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में संस्था का राजस्थान कॉ–ओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1965 (एक्ट न0 13 आफ 1965) या राज. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य बताया गया है। वर्तमान आवंटन नीति के तहत ट्रस्ट को भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। अतः संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18ए व 19 में वर्णित एक्ट से भिन्न एक्ट के अन्तर्गत होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जावे कि किस एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था को भूमि आवंटन हेतु पात्र माना जावे अथवा आवंटन नीति के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव
एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 119वीं बैठक दिनांक 11.09.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री सतीश चन्द गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
13.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12ए व 12बी	विशेष आमंत्रित
15.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
16.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
17.	श्री भंवर सिंह सांदू, उपायुक्त जोन–14ए	विशेष आमंत्रित
18.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन–15	विशेष आमंत्रित
19.	श्री प्रभात गौस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित
20.	श्री मुकेश कुमार मूंड, तहसीलदार जोन–4	विशेष आमंत्रित